5-1-22 पत्रावली पेश। वकील वादी उप.। प्रतिवादीगण
के समक्ष वाद तामील प्राप्त हो गयी है, प्रतिवादी
क्र. 1 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं
अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की
जाती है। प्रतिवादी क्र. 2, 3 व 4 स्वयं
न्यायालय में उपस्थित हुये तथा वादी
का वाद स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त
की। वकील वादी द्वारा बहस की गई, तथा
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के
आधार पर दावा स्वीकार करने की
प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का सावधानता से
अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी,
मिसल, विक्रय विलेख पत्र, इत्यादि का
अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार
पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना
उचित प्रतीत होने से, वाद

मेघराज

नि. अं. जानकी बाई

हंसराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	... तारीख हुक्म की तामील
	जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 154 / 2021 तारीख दायरा– 26.11.2021

उनवान

मुफीद अहमद पुत्र श्री सुल्तान अहमद जाति खेलदार निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। – वादी

बनाम

1. परमानन्द पुत्र श्री छीतरलाल जाति किराड।
2. मेघराज पुत्र श्री छीतरलाल जाति किराड।
3. हंसराज पुत्र श्री छीतरलाल जाति किराड।
4. श्रीमती जानकीबाई बेवा श्री छीतरलाल जाति किराड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री नरेश गौतम (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

दिनांक :– 05/1/2022

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी कं. 4 के पति स्व. छीतरलाल पुत्र श्री केशरीलाल जाति किराड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 174 रकबा 0.35 हैक्टर आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित रही है जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खतौनी संख्या 73 से होती है। खातेदार श्री छीतरलाल ने अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रमांक 2011000381 दिनांक 23.05.2011 से खसरा नंबर 174 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर पश्चिमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आराजी वादी को विक्रय कर मौके पर कब्जाकाश्त सम्भला दिया था। तभी से वादी क्रयशुदा आराजी को मौके पर शान्तिपूर्वक बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है। खरीद के बाद वादी ने उक्त रजिस्टर्ड बैनामा की प्रतिलिपि पटवारी हलका को वास्ते इन्तकाल खोलने दे दिया था तथा पटवारी द्वारा मुताबिक बैनामा इन्तकाल दर्ज करने का विश्वास दिलाया था। वादी राजकीय कर्मचारी है जो अपने पदस्थापन स्थल पर निवास करता है। अभी गत सप्ताह वादी पटवारी हलका के पास लगानराज जमा करवाने गया तो पटवारी हलका ने बताया कि वादी के नाम से तो कोई आराजी खाते में दर्ज नहीं है तथा वादग्रस्त आराजी विकेता छीतरलाल की मृत्यु हो जाने से इन्तकाल संख्या 679 दिनांक 21.10.2019 से प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 के खाते दर्ज हो चुकी है जिसके कारण अब बैनामें का इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता है तथा पटवारी हलका ने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की राय व्यक्त की। विकेता छीतरलाल का पुत्र चन्द्रेश लाऔलाद कुंवारा फौत हो चुका है जिसका नाम जमाबन्दी में दर्ज है। चूंकि वादी को कानूनन वक्त खरीद से ही वादग्रस्त आराजी का खातेदारी अधिकार हांसिल हो चुके हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित नहीं होने के कारण वादी को अपनी क्रयशुदा आराजी में विकास कार्य करवाने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी उठानी पडती है। ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिए वादपत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 174 उत्तरी रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर पश्चिमी आराजी का वादी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 1 व 5 की बावजूंद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 1 व 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर दावा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते है कि:-

माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 174 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर पश्चिमी आराजी का वादी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 05/01/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद